बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 292600 / ग्रा0वि0- 07(विविध)-08/2015 पटना, दिनांक- 30-11-2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- **महात्मा गॉधी नरेगा अंतर्गत आधार सीड़िग कराने, संयुक्त बैंक खातों को एकल परिवर्तित कराने तथा सभी जॉब कार्ड धारियों का सत्यापन कराने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-15.11.2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित Video Conference में बिहार के आधार सीड़िंग एवं जॉब कार्ड सत्यापन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल सक्रिय मनरेगा मजदूर के विरूद्ध आधार सीडिंग का प्रतिशत 77.53 है, जबकि बिहार में आधार सींडिग का प्रतिशत मात्र 30.81 प्रतिशत है । राष्ट्रीय स्तर पर Aadhaar Based Payment का Conversion 42.26 प्रतिशत है जबकि बिहार में ABP Conversion मात्र 11.23 प्रतिशत है जो अत्यंत निराशा जनक है ।

राष्ट्रीय स्तर पर जॉब कार्ड सत्यापन का प्रतिशत 28.35 है, जबकि बिहार में मात्र 0.21 प्रतिशत जॉब कार्ड का सत्यापन किया गया है । Video Conference में संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेश दिया गया कि राज्य के लिए अगली किश्त की राशि की विमुक्ति के समय आधार सिंड़िग एवं जॉब कार्ड सत्यापन की प्रगति एक प्रमुख आधार होगा साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 के श्रम बजट की स्वीकृति हेतु फरवरी माह में आयोजित की होने वाले अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में भी इसकी समीक्षा की जाऐगी तथा उपरोक्त मापदंडों में की गई प्रगति को भी श्रम बजट की स्वीकृति में आवश्यक शर्त के रूप में शामिल किया जायेगा । दिनांक-02.02.2017 को आयोजित होने वाली मनरेगा सम्मेलन में पॉच करोड़ जॉब कार्ड धारी मजदूरों को Aadhaar Based Payment में परिवर्तित करने की घोषणा किया जाना है, जबकि राज्य में अब तक मात्र 157594 मजदूर का ही अभी तक Aadhaar Based Payment में परिवर्तन किया गया है, जो राज्य में Seeded आधार का मात्र 11.23 प्रतिशत है । जिलावार आधार सीडिग, ABP Conversion एवं जॉब कार्ड सत्यापन की प्रगति पत्र के साथ संलग्न है ।

आप अवगत है कि मजदूरों के एकल बैंक खातों के साथ ही आधार संख्या को सीड किया जा सकता है । नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में 3.18 लाख मजदूरों का संयुक्त बैंक खाता है । सभी संयुक्त खातों को एकल खातों में परिवर्तित किया जाना है, ताकि सभी जॉबकाडधारी मजदूरों के खाते को आधार के साथ जोड़ा जा सके । इसके जॉबकार्डधारियो के लिए जॉब कार्ड धारी नया खाता (लेखा) खोलकर नरेगा सॉफ्ट में आवश्यक सुधार करते हुए आधार को बैंक खाता (लेखा) के साथ लिंक करना होगा ।

इस क्रम में निम्न निदेश दिये जाते हैः-

1. अभियान चलाकर 31.12.2016 तक सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारियों का आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाए साथ ही सभी जॉब कार्ड धारियों का सत्यापन शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित किया जाए (सक्रिय जॉब कार्ड धारियों का 30.11.2016 तक सत्यापन कराने हेतु पूर्व में निदेश दिया गया है) ।
2. सभी कार्यक्रम जॉब कार्ड धारी परिवारों की संख्या के आधार पर सभी पंचायत रोजगार सेवकों को जॉब कार्ड सत्यापन का लक्ष्य का इस प्रकार से निर्धारण करेंगें ताकि 31.12.2016 तक ग्राम पंचायतों में रहने वाले सभी जॉब कार्ड धारियों का सत्यापन कराये जा सके । जॉब कार्ड सत्यापन हेतु विभागीय पत्रांक 290202 दिनांक 04.11.2016 दिये गये निदेश के अनुसार कराया जायेगा । जॉब कार्ड सत्यापन के क्रम में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बचे हुए सभी जॉब कार्ड धारियों से आधार संख्या प्राप्त करेगे साथ ही आधार को नरेगा सॉफ्ट एवं उनके बैंक खाते में आधार संख्या को सींड कराने हेतु सहमति प्राप्त करेगे । (प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 पत्र के साथ संलग्न है)
3. पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रति दिन निधार्रित लक्ष्य के विरूद्ध घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर जॉब कार्ड सत्यापन का कार्य किया जायेगा तथा आधार की प्रति सहमति पत्रों (एक सहमति पत्र नरेगा सॉफ्ट में सिडिंग के लिए और दूसरा सहमति पत्र Aadhaar based Payment के लिए) के साथ प्राप्त किया जायेगा । प्रत्येक दो दिनों पर जॉब कार्ड सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन, परिवार/मजदूरों के फोटो ग्राम का सॉफ्ट कॉपी, उनका सत्यापित आधार कार्ड का छायाप्रति एवं सहमति पत्र (विभाग के लिए एवं बैंक के लिए) प्रखंड कार्यालय में जमा किया जायेगा । कार्यक्रम पदाधिकारी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जॉब कार्ड सत्यापन के डाटा एवं फोटो ग्राफ को नरेगा सॉफ्ट पर अपडेट करेगों । तथा प्राप्त आधार संख्या को नरेगा सॉफ्ट में सीड करेगें एवं बैंको की सहमति पत्रों को समेकित कर साप्ताहिक बैंको के जमा करेगे ।
4. उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक साप्ताहिक रूप से कार्यक्रम पदाधिकारियों का बैठक आयोजित कर इसका अनुत्रवण करना सुनिश्चित करेंगे । ताकि निर्धारित तिथि तक जॉब कार्ड सत्यापन, आधार सीडिग का कार्य तथा संयुक्त खाते को एकल में परिवर्तित करने कार्य पुरा किया जा को सके ।
5. जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर आयोजित होने वाले DLCC की बैठक में मनरेगा मजदूरों के जमा किये गये बैंक सहमति पत्र एवं आधार को उनके बैंक खाता से लिंक करने हेतु सभी संबंधित बैंक के पदाधिकारियों को निदेशित करेंगे ।
6. इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासत्मक कार्रवाई की जाय तथा विभाग को भी इससे अवगत कराया जाय ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
28/11/2016
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव